संख्या: 26/2017/206/छप्पन-2017-01/2015

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 10 मार्च, 2017

विषय: कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद में एक नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 690/ए0एफ0-114-15/2015, दिनांक 14 फरवरी, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के कार्यों के लिए द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रूपये 40.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या- 12/2016/1412/छप्पन-2015-01/2015, दिनांक 03 फरवरी, 2016 के अन्तर्गत कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद में राजकीय हवाई पट्टी का निर्माण किये जाने हेतु राइट्स लिमिटेड द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रूपये 118.9165 करोड़ की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 44.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी थी।

3- आपके उक्त पत्र में अवगत कराया गया है कि निर्गत की गई उक्त धनराशि में से रूपये 38.73 करोड़ (88 प्रतिशत) की धनराशि व्यय की जा चुकी है और रूपये 5.27 करोड़ शेष है। इस प्रकार कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि के 88 प्रतिशत का उपयोग कर लिया गया है तथा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रूपये 40.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

4- अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सम्यक् विचारोपरान्त विषयांकित परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रूपये 40.00 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखाशीर्षक " 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन -24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इसका ससमय उपयोग कर लिया जाय अन्यथा स्थिति में निदेशक, नागरिक उड्डयन इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

7- शासनादेश संख्या- 12/2016/1412/छप्पन-2015-01/2015, दिनांक 03 फरवरी, 2016 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्याः 26/2017/206(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
(4) आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर / जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व / भूमि अध्यासि अधिकारी, कानपुर देहात।
(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / नियोजन अनुभाग-4 / राजस्व अनुभाग-13
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।